



Neutral Citation No. - 2026:AHC:40239-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 6536 वर्ष 2025

श्रीमती उर्मिला देवी

.....याची

बनाम

सदस्य (प्रशासनिक), केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण,

इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता : रामजी सिंह पटेल, सतीश चन्द्र जायसवाल, सैयद फहीम

अहमद

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., मनु वर्धना

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका दिनांक 15.04.2025 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद द्वारा मूल आवेदन संख्या 309 वर्ष 2023 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा याची द्वारा करुणामूलक नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के अस्वीकृति आदेश को चुनौती देने वाली मूल आवेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि याची मृतक सरकारी सेवक की विधिवत विवाहित पत्नी नहीं है।
2. अधिकरण ने यह दृष्टिगत करते हुए कि कथित विवाह के समय याची के पूर्व विवाह का पति जीवित था, यह निष्कर्ष निकाला कि याची मृतक सरकारी सेवक की विधिवत पत्नी नहीं है, अतः करुणामूलक नियुक्ति का दावा निराधार है, और परिणामस्वरूप मूल आवेदन को निरस्त कर दिया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने कुछ समय तक अपने तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास करने के उपरांत यह निवेदन किया कि यद्यपि याची करुणामूलक नियुक्ति की अधिकारी नहीं हो सकती, तथापि वह अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों की अधिकारी है।
4. तथापि, यह परिलक्षित होता है कि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया था तथा न ही इस संबंध में कोई प्रार्थना की गई थी, फलस्वरूप इस विषय में प्रत्यर्थीगण का कोई अभिमत अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।
5. उपर्युक्त परिस्थितियों में, याची द्वारा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अब किए जा रहे दावे पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, हमें अधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता है।
6. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह याचिका निरस्त की जाती है, तथापि याची को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में विधि के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही कर सके।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

दिनांक: 23 फरवरी, 2026

पी.श्री./एस.एल.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”